मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी–3–7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

प्रति,

समस्त प्राधिकृत अधिकारी
समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी
समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी

विषय: सी.एम. सिटिज़न केयर (181) के माध्यम से सेवा क्रमांक 6.1 – कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का आवेदन दर्ज कर सेवा प्रदाय किया जाना।

संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2017

---

1. **सेवा का उद्देश्य :-** नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, सुगम माध्यम से सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से सेवा क्रमांक 6.1 – कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु सेवा के लिए आवेदन सी.एम. सिटिज़न केयर (181) के माध्यम से लिया जाना है।

2. **प्राधिकृत अधिकारी :-** विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

3. **समय-सीमा:-** 01 कार्य दिवस।

4. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :-** सी.एम. सिटिज़न केयर अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के लिए आवेदन सी.एम. सिटिज़न केयर (सी.एम. हेल्पलाईन 181) कॉल सेंटर के माध्यम से लिए/दर्ज किए जाएंगे।

5. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :-** मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी को पात्रता के लिए निम्न में से किसी एक शर्त की पूर्ति आवश्यक होगी -:

   5.1 आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरतर कम से कम तीन वर्ष शिक्षा प्राप्त की हो (मूक बधिर, अंध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नही होगा)।

   5.2 आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निवासरत हो।

   5.3 आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षो से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सपंत्ति धारित करता हो / उधोग / व्यवसाय करता हो।

   5.4 आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो। परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम मंडल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भोगोलिक सीमा के बाहर स्थित है में नियोजित (employed) कर्मचारी को मापदंड क्रमांक (3.1) अथवा (3.2) अथवा (3.3) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

   5.5 आवेदक केंद्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।

   5.6 आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।

5.7 आवेदक मध्यप्रदेश में सवैधानिक अथवा विधिक पड़ पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

5.8 भूतपूर्व सेनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षो तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो, को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाए।इसकी पुष्टि सेनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र जारी किया जाए।इसकी पुष्टि सेनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाए।उपरोक्त कंडिका में "परिजन" से तात्पर्य है सबंधित भूतपूर्व सेनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता।

6. **आवश्यक दस्तावेज :-** कोई नहीं।

7. **सी.एम. सिटिज़न केयर (181) में सेवा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया –**

सी.एम. हेल्पलाईन 181 कॉल सेंटर में CM Citizen Care के लिए एक समर्पित सेल तैयार की गई है, जिसमें आवेदक द्वारा फ़ोन करने पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की सेवा के लिए निम्नानुसार आवेदन दर्ज किया जाएगा।

7.1 सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा सी. एम. सिटिज़न केयर (181) में संपर्क किया जाएगा।

7.2 सी. एम. सिटिज़न केयर (181) के कॉल सेंटर के ऑपरेटर द्वारा SMS के माध्यम से आधार सत्यापन के लिए लिंक भेजा जाएगा।

7.3 आवेदन के लिए आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर एवं पता आधार से लिया जाएगा।

7.4 सी.एम. सिटिज़न केयर (181) से आवेदन दर्ज होने के पश्चात् नागरिक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजी जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा सहमति के उपरांत आवेदन दर्ज हो जाएगा।

7.5 आवेदन का पंजीयन मध्य प्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जाएगा।

8. **शुल्क –** निःशुल्क

9. **आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया-**

9.1 आवेदक द्वारा सी. एम. सिटिज़न केयर (181) में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करते ही आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही सबंधित प्राधिकृत अधिकारी को उनके अकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

9.2 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर प्रमाण पत्र स्वत: ही प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होकर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा।

9.3 निराकरण पश्चात आवेदक को SMS के माध्यम से लिंक भेजी जायेगी, जिस पर प्रमाण-पत्र की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जा सकेगी।

9.4 यदि किसी कारण सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त/अमान्य करने का स्पष्टयुक्ति कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

10. **अपील**- आवेदक निम्नांकित स्तिथियों में अपील कर सकेगा: -

1.आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर।
अथवा
2.प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा पर 30 दिवस तथा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिवस होगी।

अपील निम्मानुसार की जा सकेगी :-

सेवा क्रमांक	सेवा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय -सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
6.1	कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	15 कार्य दिवस	कलेक्टर

(डॉ. श्रीनिवास शर्मा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी–3–7/2013/1/3 भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
3. शासन के समस्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
9. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
10. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
11. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
12. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश
    शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
17. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।

18. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
19. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
20. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
21. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
22. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
23. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
24. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
26. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग